प्राधिकृत अनुवाद

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या-24 एच.एल.ए.

हरियाणा कारबार का अधिकार विधेयक, 2026

हरियाणा राज्य में योग्य उद्यम के लिए कारबार की स्थापना और संचालन को सुगम बनाने हेतु समर्थ सह-प्रणाली के माध्यम से स्व-प्रमाणीकरण, छूट, त्वरित अनुमोदन, निरीक्षण करने और इससे संबंधित अथवा उसके अनुषंगिक मामलों के उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा कारबार का अधिकार अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएँ ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुमोदन" से अभिप्राय है, योग्य उद्यम, जो विनिर्माण इकाई है, चाहे नया या विद्यमान हो, जिसका विस्तार हो रहा है, की स्थापना या का संचालन करने के सम्बन्ध में किसी राज्य विधि के अधीन अपेक्षित अभिस्वीकृति, अनापत्ति प्रमाणपत्र, सहमति, पंजीकरण, अनुमति, अनुज्ञप्ति और ऐसी अन्य समरूप लिखत, किसी भी नाम से ज्ञात हो और इसमें डीम्ड अनुमोदन या सैद्धान्तिक अनुमोदन भी शामिल है;

(ख) "सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र" से अभिप्राय है, धारा 9 के अधीन जिला नोडल अभिकरण द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन;

(ग) "सक्षम प्राधिकरण" से अभिप्राय है, राज्य सरकार का कोई विभाग या अभिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक निकाय, निगम या बोर्ड, शहरी विकास प्राधिकरण या किसी राज्य विधि द्वारा गठित या स्थापित अथवा राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोई अन्य प्राधिकरण या अभिकरण, जिसे राज्य में उद्यम की स्थापना और संचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करने और जारी करने की शक्तियाँ अथवा उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(घ) "आशय की घोषणा" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनों हेतु किसी राज्य विधि के अधीन योग्य उद्यम द्वारा सुसंगत दस्तावेजों और अपेक्षित सूचना को प्रस्तुत करना;

(ङ) "डीम्ड अनुमोदन" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर दिया गया डीम्ड अनुमोदन;

(च) "योग्य उद्यम" से अभिप्राय है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (जिसे, इसमें, इसके बाद एम.एस.एम.ई. के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), जो विनिर्माण इकाई है, चाहे नया या विद्यमान हो, जिसका विस्तार हो रहा है और भारत सरकार के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत है;

(छ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ज) "अधिस्थगन अवधि" से अभिप्राय है, सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि से छत्तीस मास की अवधि, जिसके दौरान न तो कोई निरीक्षण किया जाएगा और न ही किसी योग्य उद्यम के विरुद्ध कोई प्रपीड़क उपाय किया जाएगा;

(झ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ञ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ट) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(ठ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

राज्य नोडल अभिकरण।

3. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित सशक्त कार्यकारी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु राज्य नोडल अभिकरण होगा।

जिला नोडल अभिकरण।

4. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) की धारा 8 के अधीन गठित जिला स्तरीय समाशोधन समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु जिला नोडल अभिकरण होगा और राज्य नोडल अभिकरण के सम्पूर्ण अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

राज्य नोडल अभिकरण की शक्ति और कृत्य।

5. राज्य नोडल अभिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) जिला नोडल अभिकरण के सम्पूर्ण कृत्यों की निगरानी, पर्यवेक्षण और समीक्षा करना;

(ख) सक्षम प्राधिकरण के साथ समन्वय और सम्पर्क करना;

(ग) धारा 13 के अधीन दायर अपील पर निर्णय लेना;

(घ) शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना;

(ङ) कोई अन्य शक्ति तथा कृत्य, जो इसे सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

जिला नोडल अभिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

6. जिला नोडल अभिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) निवेश का विचार किए बिना, आशय की घोषणा की जाच करना और कार्यवाही करना;

(ख) नियत अवधि के भीतर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करना;

(ग) आशय की घोषणा, योग्य उद्यम को जारी किए गए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र और डीम्ड अनुमोदन का रिकॉर्ड बनाए रखना;

(घ) शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य नोडल अभिकरण और सक्षम प्राधिकरण के साथ समन्वय और सम्पर्क करना;

(च) योग्य उद्यम की स्वतः निगरानी करना, जिसे सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई करना;

(छ) कोई अन्य शक्ति और कृत्य, जो सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं ।

आशय की घोषणा करना ।

7. राज्य में अपने कारबार की स्थापना या उसका विस्तार करने के लिए आशयित योग्य उद्यम, जिला नोडल अभिकरण को ऐसे प्ररूप और ऐसी फीस के साथ रीति, जो विहित की जाए, में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा।

सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र ।

8. (1) आशय की घोषणा की प्राप्ति पर, किसी योग्य उद्यम को ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित किए जाए, में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(2) सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा वैकल्पिक होगी और योग्य उद्यम किसी भी समय सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण से नियमित अनुमोदन लेने का चुनाव कर सकता है।

(3) सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र किसी योग्य उद्यम को, भूमि उपयोग को शासित करने वाली किसी राज्य विधि के अधीन विनिर्दिष्ट भूमि उपयोग या किसी भी शर्त के विचलन में, भूमि अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करने का हकदार नहीं बनाएगा।

सैद्धान्तिक अनुमोदन और डीम्ड अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करना ।

9. (1) आशय की घोषणा की प्राप्ति पर, जिला नोडल अभिकरण पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करेगा अथवा आशय की घोषणा अस्वीकार करेगा।

(2) यदि नियत अवधि के भीतर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तो इसे हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अग्रेषित किया जाएगा।

(3) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दस दिन की अवधि के भीतर आशय की घोषणा का अनुमोदन कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, जिसमें असफल रहने पर, उसे अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और जिला नोडल अभिकरण द्वारा डीम्ड अनुमोदन की तिथि से तीन दिन के भीतर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

अधिस्थगन अवधि के दौरान निरीक्षण ।

10. (1) किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, अधिस्थगन अवधि के दौरान ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षण किया जा सकता है:

परन्तु ऐसा निरीक्षण केवल सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण के मुखिया के आदेश से और जिला नोडल अभिकरण के अध्यक्ष को ऐसे निरीक्षण की पूर्व सूचना देते हुए लिखित में कारण लिपिबद्ध करने पर, ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।

(2) सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण का मुखिया, लिखित में कारण लिपिबद्ध करते हुए स्वप्रेरणा से, भूमि उपयोग के उल्लंघनों, अप्राधिकृत निर्माणों या सार्वजनिक सुरक्षा, संरचनात्मक एकीकरण या अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का निरीक्षण करने का आदेश कर सकता है।

(3) निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण करने के बाद अड़तालीस घंटों के भीतर योग्य उद्यम और सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण को ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी और सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण लागू विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई प्रारम्भ करेगा।

अपेक्षित अनुमोदन ।

11. अधिस्थगन अवधि के दौरान योग्य उद्यम, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र के इन्वेस्ट हरियाणा एकल विंडो पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित सक्षम

प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से सभी अपेक्षित अनुमोदनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा:

परन्तु योग्य उद्यम, उपरोक्त अधिस्थगन अवधि की समाप्ति से पूर्व पिछले छह मास के भीतर सुनिश्चित करेगा कि लम्बित सभी अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं।

अवहेलना, उल्लंघन और शास्ति ।

12. (1) आशय की घोषणा में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने या तथ्यों के दुर्व्यपदेषन या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध की उल्लंघना के मामले में, जिला नोडल अभिकरण योग्य उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के बाद सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण कर सकता है।

(2) अनुमोदन के संबंध में लागू विधि के किसी भी उपबंध की उल्लंघना करने के मामले में, सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण, लागू विधि के अनुसार योग्य उद्यम पर शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

(3) जहाँ योग्य उद्यम अधिस्थगन अवधि के भीतर सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहता है, तो सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण, ऐसी अधिस्थगन अवधि की समाप्ति पर, लागू विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसे योग्य उद्यम के विरुद्ध प्रपीड़क उपायों सहित ऐसी कार्रवाई प्रारम्भ कर सकता है।

अपील ।

13. (1) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन पारित अस्वीकरण आदेश से व्यथित कोई योग्य उद्यम, आशय की घोषणा के अस्वीकरण की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य नोडल अभिकरण के सम्मुख अपील दायर कर सकता है;

परन्तु राज्य नोडल अधिकरण ऐसी अवधि के समाप्ति होने के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि इसे उस अवधि के भीतर दायर नहीं करने के पर्याप्त कारण थे।

(2) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पारित अस्वीकरण आदेश से व्यथित कोई योग्य उद्यम, आशय की घोषणा के अस्वीकरण की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सम्मुख अपील दायर कर सकता है;

परन्तु हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी अवधि के समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि इसे उस अवधि के भीतर दायर नहीं करने के पर्याप्त कारण थे।

शिकायत निवारण ।

14. (1) धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2) के उपबंधों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के अध्यधीन, यदि इस अधिनियम के अधीन सैद्धान्तिक अनुमोदन का वैध प्रमाणपत्र रखने वाला योग्य उद्यम, अधिस्थगन अवधि के दौरान प्रारम्भ की गई कार्रवाई से व्यथित है, तो योग्य उद्यम, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में जिला नोडल अभिकरण के सम्मुख शिकायत के निवारण के लिए

आवेदन दायर कर सकता है। जिला नोडल अभिकरण तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी शिकायत का समाधान करेगा।

(2) यदि जिला नोडल अभिकरण उपधारा (1) के अधीन शिकायत का समाधान करने में असफल रहता है या समुचित कार्रवाई करने में असमर्थ होता है, तो शिकायत, राज्य नोडल अभिकरण को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अग्रेषित की जाएगी।

(3) राज्य नोडल अभिकरण, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर शिकायत विनिश्चित करेगा।

अनुमोदन की सूची ।

15. इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अनुमोदन की सूची और ऐसे अनुमोदन के लिए सम्बन्धित प्राधिकरण अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति ।

16. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में परिवर्धन या परिवर्तन या संशोधन कर सकती है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

17. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य नोडल अभिकरण, जिला नोडल अभिकरण, सक्षम प्राधिकरण या इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के निर्देषाधीन कार्य करने वाले किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

लोक सेवक ।

18. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कार्यरत या कार्य करने के लिए तात्पर्यित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

अध्यारोही प्रभाव ।

19. किसी अन्य राज्य विधि में दी गई असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति ।

20. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन्असंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति ।

21. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखे जाएंगे।

अनुसूची

(देखिए, धारा 15 तथा 16)

अनुमोदनों की सूची

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकरण	अनुमोदन
1	नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	(i) औद्योगिक जोन में भूमि उपयोग परिवर्तन (ii) नगरीय क्षेत्र अधिनियम के अधीन इकाई की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (iii) नियंत्रित/नगरीय क्षेत्र से बाहर आने वाली इकाई के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (iv) भवन के नक्शे का अनुमोदन (सभी कम जोखिम वाले उद्योगों हेतु)
2	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	(i) नगरपालिका सीमा के भीतर औद्योगिक क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन (ii) भवन के नक्शे का अनुमोदन (सभी कम जोखिम वाले उद्योगों हेतु)
3	अग्निशमन विभाग	(i) श्वेत तथा हरित श्रेणी के उद्योगों के लिए अग्निशमन योजना (सभी कम जोखिम वाले उद्योगों हेतु) (ii) अग्निशमन सेवाओं के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (सभी कम जोखिम वाले उद्योगों हेतु)
4	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	(i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन स्थापना हेतु सहमति तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन स्थापना करने हेतु सहमति (औद्योगिक क्षेत्र के भीतर सभी श्वेत तथा हरित श्रेणी के उद्योगों तथा अतिरिक्त रूप से नारंगी श्रेणी के सभी उद्योगों हेतु) (ii) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन संचालन करने हेतु सहमति (औद्योगिक क्षेत्र के भीतर सभी श्वेत तथा हरित श्रेणी के उद्योगों तथा अतिरिक्त रूप से नारंगी श्रेणी के सभी उद्योगों हेतु)

5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	(i) भवन के नक्शे का अनुमोदन (सभी कम जोखिम वाले उद्योगों हेतु) (ii) प्लिन्थ लेवल प्रमाणपत्र जारी करना
6	श्रम विभाग	हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के अधीन दुकान का पंजीकरण

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा में व्यावसायिक उद्यमों की स्थापना और संचालन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियामक ढाँचे के तहत उद्यमियों को संचालन शुरू करने से पहले विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों से अनेक अनुमोदन, लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ऐसे अनुमोदनों को अक्सर विभिन्न राज्य एजेंसियों द्वारा क्रमिक रूप से संसाधित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के लिए, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए, लंबे समय तक विलंब और महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक बोझ उत्पन्न होता है, जिनके पास सामान्यतः सीमित वित्तीय और प्रशासनिक संसाधन होते हैं।

स्थापना से पहले सभी वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता ने राज्य में औद्योगिक विकास, उद्यमिता और नवाचार को बाधित किया है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, “कारबार का अधिकार” के सिद्धांत पर आधारित एक सुविधाजनक ढाँचा शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य लागू कानूनों, नियामक मानकों और सार्वजनिक सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनावश्यक प्रक्रियात्मक विलंब को कम करके व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देना है।

हरियाणा कारबार का अधिकार विधेयक, 2026 का उद्देश्य समयबद्ध, सैद्धांतिक पूर्व-स्थापना अनुमोदनों की एक प्रणाली प्रदान करना है, जो पात्र उद्यमों को निर्धारित शर्तों के अधीन व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करने की अनुमति देगी, जबकि मूल अनुमोदनों की प्रक्रिया समानांतर रूप से जारी रहेगी।

हरियाणा कारबार का अधिकार विधेयक, 2026 का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

1. प्रक्रियात्मक बोझ को कम करके “कारबार करने में सुगमता” को बढ़ावा देना

विधेयक सरकार के "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसका उद्देश्य एक निवेशक-अनुकूल नियामक वातावरण को बढ़ावा देना है, जो उद्यमिता को प्रोत्साहित करे और कारबार करने में सुगमता को सुगम बनाए। इसमें पात्र उद्यमों (नए या विस्तार कर रहे विनिर्माण MSMEs) को एकमुश्त सैद्धांतिक पूर्व-स्थापना अनुमोदन, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOCs) प्रदान करने के लिए एक ढाँचे का प्रस्ताव है, जिससे वे लागू वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए शीघ्रता से संचालन शुरू कर सकें।

वर्तमान में, नियामक पारिस्थितिकी तंत्र नए उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश बाधाएँ प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसमें एक खंडित, बहु-एजेंसी अनुमोदन प्रक्रिया है, जिसके तहत उद्यमियों को कारबार स्थापित करने से पहले अनेक स्वीकृतियाँ और लाइसेंस प्राप्त करने पड़ते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विधेयक सैद्धांतिक पूर्व-स्थापना अनुमोदनों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था शुरू करता है, जिससे प्रक्रियात्मक बोझ कम होगा, कारबार की स्थापना में तेजी आएगी और राज्य में निवेश तथा उद्यम विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

2. स्व-घोषणा और छूट के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना

विधेयक पात्र उद्यमों द्वारा संचालन शुरू करने के लिए आशय की घोषणा दाखिल करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है और उन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट राज्य-स्तरीय निरीक्षणों

और स्वीकृतियों से छूट प्रदान करता है; जिससे वे आसानी से अपना कारबार स्थापित और संचालित कर सकें।

3. त्वरित नियामक अनुमोदन

विधेयक सैद्धांतिक अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एक निर्धारित समय-सीमा प्रदान करता है और जहाँ निर्धारित अवधि के भीतर सैद्धांतिक अनुमोदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, वहाँ मानी गई स्वीकृति की अवधारणा प्रस्तुत करता है।

4. निरीक्षण से अधिस्थगन अवधि

विधेयक पात्र उद्यमों को सभी आवश्यक वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छत्तीस महीने की अधिस्थगन अवधि की अनुमति देता है। विधेयक अधिस्थगन अवधि के दौरान निरीक्षण और दंडात्मक उपायों को प्रतिबंधित करता है, सिवाय निर्दिष्ट मामलों के, जो गंभीर शिकायतों, अनधिकृत निर्माण, भूमि उपयोग विनियमों के उल्लंघन या सार्वजनिक सुरक्षा, संरचनात्मक अखंडता और अग्नि सुरक्षा से संबंधित मामलों पर आधारित हों।

5. प्रभावी शिकायत निवारण प्रदान करना

विधेयक पात्र उद्यमों के हितों की रक्षा करने और निर्णय लेने में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपील और शिकायत निवारण की एक व्यवस्था स्थापित करता है। सुविधा और शिकायत निवारण का दायित्व राज्य और जिला स्तर पर नोडल एजेंसियों को सौंपा जाएगा।

विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

राव नरबीर सिंह,
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ः
दिनांक 31 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से.
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 31 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा कारबार का अधिकार विधेयक, 2026' की खण्ड 7 में किए गए प्रावधान के अनुसार राज्य में अपने कारबार की स्थापना या उसका विस्तार करने के लिए आशयित योग्य उद्यम, जिला नोडल अभिकरण को ऐसे प्ररूप और ऐसी फीस के साथ रीति, जो विहित की जाए, में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा।

प्रत्यायुक्त विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 21 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन एक सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन है।